

राजस्थान विधान सभा

कार्य सलाहकार समिति

31 वां प्रतिवेदन

गुरुवार, दिनांक 21 मार्च, 2013

कार्य सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 21 मार्च, 2013 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्रम (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने 30वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया कि दिनांक 22 मार्च, 2013 को सदन में अग्रोत्तर लिये जाने वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाय :-

1- गैर-सरकारी कार्य दिवस ।

(मध्यान्ह 12.00 बजे से मध्यान्ह पश्चात् 2.00 बजे तक)

2- राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013

पर विचार एवं पारण।

3- राजस्थान वित्त विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण ।

(मध्यान्ह 2.00 बजे से सायंकाल 5.00 बजे तक)

(उपरोक्त विधेयकों पर सायं 5.00 बजे प्रभारी मंत्री की ओर से उत्तर दिया जाएगा)

4. राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012;

5. राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013;

6. राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013;

7. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2013;

8. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013;

9. राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013;

10. राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013; एवं

11. राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013; - पर विचार एवं पारण।

12. मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-16 वर्ष 2011) को राजस्थान में अंगीकार किये जाने के लिये शासकीय संकल्प।

शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2013

नोट – दिनांक 22 मार्च, 2013 को शून्यकाल नहीं होगा ।

दीपेन्द्र सिंह शेखावत

पदेन सभापति

विधान सभा भवन,

जयपुर।

दिनांक : 21 मार्च, 2013

नोट :- उपरोक्त कार्य के बटवारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।